



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092023-249063
CG-DL-E-29092023-249063

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557]
No. 557]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2023/आश्विन 7, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023/ASVINA 7, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

आय-कर

सा.का.नि. 702(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 115खकड की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तेईसवां संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 21कज के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“21कजक. धारा 115खकड की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग--(1) किसी व्यक्ति, जो भारत में निवासी सहकारी सोसाइटी है, द्वारा 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के

लिए धारा 115खकड की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में प्रयोग किया जाने वाला विकल्प प्ररूप सं. 10झचक में होगा।

(2) प्ररूप सं. 10झचक में विकल्प को या तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन या इलैक्ट्रानिकी सत्यापन कूट के अधीन इलैक्ट्रानिकी रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली),--

(i) प्ररूप सं. 10झचक को फाइल करने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा ;

(ii) उक्त प्ररूप को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के सत्यापन के लिए उपनियम (2) में निर्दिष्ट डाटा स्ट्रकचर, और इलैक्ट्रानिकी सत्यापन कूट के सृजन के मानक और रीति को विनिर्दिष्ट करेगा ; और

(iii) इस प्रकार प्रस्तुत प्ररूप के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनः प्राप्ति नीतियों की विरचना के लिए उत्तरदायी होगा।”

3. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में प्ररूप सं. 10झच के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“प्ररूप सं. 10झचक

[नियम 21कजक का उपनियम (1) देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकड की उपधारा (5) के अधीन

विकल्प का प्रयोग करने के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी

.....

.....

महोदय/महोदया,

मैं [115खकड की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग करने वाली सहकारी सोसाइटी का नाम और रजिस्ट्रीकृत पता], जिसका स्थायी लेखा संख्यांक है, के निमित्त आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकड की उपधारा (5) में निर्दिष्ट विकल्प का पूर्व वर्ष और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए प्रयोग करता हूं।

2. सहकारी सोसाइटी के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

- | | | |
|---|---|--------------|
| (i) सहकारी सोसाइटी का नाम | : | |
| (ii) क्या निवासी सहकारी सोसाइटी है | : | हां/नहीं |
| (iii) पेन सं. | : | |
| (iv) रजिस्ट्रीकृत पता | : | |
| (v) रजिस्ट्रीकरण की तारीख | : | दिन/मास/वर्ष |
| (vi) कार्यकलापों की प्रकृति | : | |
| (vii) विनिर्माण/उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख | : | |

3. मैं यह जानता हूँ कि धारा 115खकड की उपधारा (5) के अधीन किसी पूर्व वर्ष के लिए विकल्प का एक बार प्रयोग करने के पश्चात् उसे उसी या किसी अन्य पूर्व वर्ष के लिए वापस नहीं लिया जा सकता है।

4. मैं, यह पुष्टि करता हूँ कि--

- (i) कारबार को पहले से ही विद्यमान कारबार का विभाजन करके या पुनर्गठन करके विरचित नहीं किया गया है ;
- (ii) कारबार अधिनियम की धारा 115खकड की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 में यथा उपबंधित के सिवाय पूर्व में उपयोग की गई किसी मशीनरी या संयंत्र का उपयोग नहीं करता है ;
- (iii) सहकारी सोसाइटी किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण और उत्पादन तथा उसके संबंध में अनुसंधान या ऐसी वस्तु या चीज, जिसका ऊपर बिन्दु 2(vi) में विनिर्दिष्ट विनिर्माण या उत्पादन से भिन्न किसी कारबार में नहीं लगी हुई है।

5. मैं, यह और पुष्टि करता हूँ कि पूर्वोक्त शर्तों के अतिरिक्त धारा 115खकड में उपदर्शित शर्तों को पूर्वोक्त सहकारी सोसाइटी द्वारा पूरा किया जाएगा।

स्थान :

तारीख :

भवदीय,

प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

पता

टिप्पण : प्ररूप पर प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 83/2023/फा.सं. 370142/32/2023-टीपीएल]

अमृत प्रीतम चेतिया, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ.969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 697(अ), तारीख 27 सितंबर, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।